रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 1979/आश्विन 9, 1901
No. 309] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 1979/ASVINA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1979

(सीमा-शुल्क)

सा. का. नि. 560 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) के अनुसरण में, यह अवधारण करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए, एक रूसी रूबल के भारतीय करेंसी में या भारतीय

करेंसी के एक रूसी रूबल में सपरिवर्तन के लिए विनिमय दर 9.9974 रुपये होगी।

[सं. 203-सीमा-शुल्क/फा. सं. 493/53/78-सीमा-शुल्क 6]

ए. बोर्डिया, अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 1979

(CUSTOMS)

G.S.R. 560(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), the Central Government hereby determines that, for the purposes of section 14 of the said Act, the rate of exchange for conversion of one Russian Rouble into Indian currency or vice versa, shall be rupees 9.9974.

[No. 203-Cus./F. No. 493/53/78-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979